



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(‘० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम १९६५ के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु’)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी रजिस्ट्रीड बैगम
B-38 H-1.G. जी०टी०बी० नगर
इलाहाबाद

पत्रांक 82

नि० प्रा० २०१६/२।

दिनांक ९-३-२०१६

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या..... B-38.H-1.G. योजना जी०टी०बी० नगर..... इलाहाबाद
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक ०२-०३-२०१६ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या २८/१०।
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमो, शासनादेशों
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

१. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक ९-३-२०१६ से ८-३-२०२१ तक) पाँच वर्ष की ढूगी। निर्माण
विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों
सहित मान्य होगा।
२. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा समर्टी हेतु १७२.४३ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये
२.३।.९० वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- ३ भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३५
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से १४ दिन पूर्व देनी होगी।
- ४ यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
५. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित
सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
६. ३०० वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

[Signature]
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
प्रतिलिपि :- ८२ / उपरोक्त तददिनांक ९-३-२०१६

पृ० स० ८२

/ उपरोक्त

प्रतिलिपि :-

१. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३५
को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
२. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय नोटेशन रोम्पी उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद
को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

[Signature]
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
R.K.-T-१ ९/३/१६



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी लाला बांजे
रा - 524 जी. बी. नगर
इलाहाबाद

पत्रांक 49

नि० प्रा० 2016/com-१

दिनांक 7-2-2017

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या C.C. 5 योजना जी. बी. नगर नगर इलाहाबाद निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 18.01.2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या ५४। के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 7-2-2017 से 6-1-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 332.15 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 271.20 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

(Signature)

2) परिषेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
(Signature)

पृ० सं० 49

/उपरोक्त

तददिनांक 7-1-2017

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय इलाहाबाद उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(Signature)

2) परिषेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
(Signature)



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा बिंगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी... सलामा फारुक पनी श्री मोहम्मद जाफार
167/183 वड्हशी बाजार इलाहाबाद

पत्रांक 79

नि० प्रा० २०१७/Com-२

दिनांक 17/03/2017

घर भूमि/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या C-C-38 योजना औटी.बी.नगर नगर इलाहाबाद
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 15. ३. २०१७ के क्रम में नि० प्रा० रजिस्टर संख्या 2017/Com-२
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 17/03/2017 से 16/03/2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण
विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों
सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 382.35 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये。
350.50 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 35
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित
सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हार्डेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

प० सं० 79

/ उपरोक्त

तददिनांक

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद
को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय आफिस काम्पलेक्स उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद
को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

आई. एस. ओ. 9001-2000 प्रमाणित संस्था

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई — 3

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री / श्रीमती /

तबस्तुम गजाल

लि-654 जी.ए.वी.नगर योजना

इलाहाबाद

पत्रांक 172

नि० प्र० २०१७/२७

दिनांक १५-५-२०१७

भवन / भूमि संख्या / संख्या संख्या C-654 योजना जी.ए.वी.नगर नगर इलाहाबाद

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक २७-०३-२०१७ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक १५-५-२०१७ से १५-५-२०२२ तक) पाँच वर्ष की होगी।
3. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्डों पर प्रथम बार निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड- ३.५ को प्रारम्भ करने से १४ दिन पूर्व देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. यदि इस भवन हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
7. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु है।
8. यह स्वीकृति ३.२.३.७ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये २०३.२६ वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
9. स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
9. 300 वर्ग मी० से ऊपर रेन वाटरहारेस्टिंगका प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक / सहायक

वास्तुविद नियोजक / वास्तुकला सहायक

प० सं० १७२

उपरोक्त

१५/८ तददिनांक १५-५-२०१७

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड ३.५ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय इलाहाबाद उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक / सहायक

वास्तुविद नियोजक / वास्तुकला सहायक

१५/८ रुपये



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(‘उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु’)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी रजिस्टरेशन नंबर
B- 38 H-16 जीवी बीनगांव
इलाहाबाद

पत्रांक 82

नि० प्रा० २०१६/२।

दिनांक ९-३-२०१६

भवन/ भूखण्ड संख्या/ खसरा संख्या..... B- 38 H-16 योजना जी० बी० नगर..... नगर..... इलाहाबाद.....
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक ०२-०३-२०१६ के क्रम में नि० प्रा० रजिस्टर संख्या २४/१०।
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक ९-३-२०१६ से ८-३-२०२१ तक) पाँच वर्ष की तोगी। निर्माण
विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों
सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु १७२.४३ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये
२.३।.९८ वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३५
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/ भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित
सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हार्डवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

पृ० सं० ८२

/ उपरोक्त

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३५ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद
को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय इलाहाबाद उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद
को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

तददिनांक ९-३-२०१६

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
R.K.R.-F ९/३/१६



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री / श्रीमती / कुमारी अतीक अहमद अंसारी
भवन नं. C-747 जीर्ण लोड नगर योजना,
इलाहाबाद

पत्रांक 84

नि० प्रा० २०१६/१८

दिनांक ९-३-२०१६

भवन / भूखण्ड संख्या C-747 योजना प्रा० २०१६ नगर इलाहाबाद
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक ०३.०३.२०१६ के क्रम में नि० प्रा० रजिस्टर संख्या २५/९७
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य / जानकारी को गलत
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक ९-३-२०१६ से ८-३-२०२१ तक) पाँच वर्ष की ढोगी। निर्माण
विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों
सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल-तथा मर्टी हेतु ९.२.७९ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये १८.३.१० वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- 3 भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३५
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से १४ दिन पूर्व देनी होगी।
- 4 यदि इस भवन / भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित
सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

पृ० सं० ८४

/ उपरोक्त

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३५ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद
को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सूहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय इलाहाबाद नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद
को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

[Signature]
१। विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
प्रति
तदिनांक ९-३-२०१६

[Signature] ९/३/१६
१। विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
प्रति



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...^{तृतीय}

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“‘३० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी गन्धुर आलम
630 सी, जी १० ली० नगर, कोली
इलाहाबाद

पत्रांक 442

नि० प्रा०

दिनांक 28-9-2016

भ्रष्ट/भूखण्ड संख्या /खूस्तरा संख्या.....०३..... योजना जी १० ली० नगर..... नगर.....इलाहाबाद.....
 निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 22-9-2016 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या ४२५.....
 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमो, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 28-9-2016 से 27-9-2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ~~द्वितीय~~ तल तथा ममटी हेतु 122.02..... वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये.....75.20..... वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- 3 भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-.....35..... उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- 4 यदि इस भवन/ भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
 विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
 विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० 442

/ उपरोक्त

तददिनांक 28-9-2016

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड.....35..... उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद.....
 को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सुहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय-कॉलेज लोगाड नगर..... उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद.....
 को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
 विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
 विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी मन्तुर आलम
638 सी. जी. बी. बी. नगर, करेती
इलाहाबाद

पत्रांक 479

नि० प्रा० २०१६/६९

दिनांक २५-१०-२०१६

भवन/भूखण्ड संख्या/खंडरा संख्या ०। योजना प्री० बी० नगर नगर इलाहाबाद

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक ०३.१०.२०१६ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक २५-१०-२०१६ से २४-१०-२०२१ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु १०५.१४ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये ६५.७० वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३५ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से १४ दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- ३०० वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० ४७९

/उपरोक्त

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड ३५ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय नन्हे शैतर काला नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

१० रुपये



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई... द्वितीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“‘३० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी गन्धर आलम
638 सी, पी. बी. बी. नगर, कोटली
इलाहाबाद

पत्रांक ५५१

नि० प्रा०

दिनांक २८-९-२०१६

भवन/ भूखण्ड संख्या / खूस्तरा संख्या ०३ योजना जी० टी० बी० नगर इलाहाबाद

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक २२-९-२०१६ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या ४२४

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

१. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक २८-९-२०१६ से २१-९-२०२१ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।

२. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु १२२.१२ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये ७५.२० वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।

३ भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड— ३५ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से १४ दिन पूर्व देनी होगी।

४ यदि इस भवन/ भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।

५. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

६. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हार्डेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

पृ० सं० ५५१

/ उपरोक्त

तददिनांक २८-९-२०१६

प्रतिलिपि :—

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड— ३५ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सूहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय— इलाहाबाद नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

• विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक बैठक
२८/९/१६



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...द्वितीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(‘उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु’)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी वकार अहमद रखँ रखँ मौ० अनवर रखँ
c-176 जी० बी० बी० नगर,
इलाहाबाद

पत्रांक 85

नि० प्रा० २०१६/१६

दिनांक ९-३-२०१६

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या.....१८६..... योजना जी० श्री० बी० नगर..... नगर.....इलाहाबाद.....
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक १६/०२/२०१६ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या.....२५/४
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमो, शासनादेशों
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक ९-३-२०१६ से ८-३-२०२१ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण
विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों
सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु ५११.९३ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये..
३.२.४.०० वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३५
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित
सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

पृ० स० ८५

/उपरोक्त

प्रतिलिपि :-

१। प्रिशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
कोटि तददिनांक ९-३-२०१६

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड.....३५..... उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद.....
को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय-नौकरी शैक्षणिक विद्यालय उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद.....
को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

२। प्रिशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
कोटि